Rs. 100
रु. 100
HUNDRED RUPEES
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

दस्तावेज ट्रस्ट (न्यास)

विद्या राय सोशल वेलफेयर ट्रस्ट

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 26.02.2013 ग्राम–सिवजी पोस्ट–सिवजी विकास खण्ड मनिहारी परगना शादियाबाद तहसील–जखनियां जिला–गाजीपुर (उ0प्र0) में श्री आशीष कुमार राय पुत्र श्री पारस नाथ राय ग्रा0–सिवजी पोस्ट–सिवजी विकास खण्ड मनिहारी परगना शादियाबाद तहसील–जखनियां जिला–गाजीपुर (उ0प्र0) द्वारा घोषित किया गया। जिन्हें न्यासकर्ता /संस्थापक कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक पर रूपया 5000/(पांच हजार रूपये मात्र) की राशि है। जिस को वह पुण्यार्थ सामाजिक कार्यो हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अखिल सार्वजनिक न्यास बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा क्योंकि यह ट्रस्ट विद्या राय सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के नाम जाना जायेगा तथा कार्य करेगा जिसे की आगे भविष्य में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा। क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे की आगे ट्रस्टी या संस्था कहा जा सकेगा न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न स्रोतों से दान उपहार, ऋण आदि भी सम्मिलित है जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों की ओर बढ़ायें ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल 5000/(पांच हजार रुपये मात्र) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है।

क्रमश.....2

आशीष कुमार राय

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

और क्योंकि भविष्य में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम–सिखड़ी पोस्ट–सिखड़ी विकास खण्ड मनिहारी परगना शादियाबाद तहसील–जखनियां जिला–गाजीपुर (उ0प्र0) एवं प्रशासनिक कार्यालय ग्राम–सिखड़ी पोस्ट–सिखड़ी विकास खण्ड मनिहारी परगना शादियाबाद तहसील–जखनियां जिला–गाजीपुर (उ0प्र0) अथवा सुविधा जनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय को समयानुसार समय–समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा । क्योंकि न्यासकर्ता / ट्रस्टी / अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार [illegible] घोषित किया जा सकता है ।

विद्या राय सोशल वेलफेयर ट्रस्ट

(इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावली –

ट्रस्ट के उद्देश्य – ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा ।

1. बिना लिंग भेद किये सबके लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, पी0जी0 कालेज, बी0एड0, बी0टी0सी0, सी0बी0एस0ई0, आई एम एस, एन सी ई आर टी द्वारा संचालित विद्यालय व महाविद्यालय की व्यवस्था एवं संचालन व पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, सिलाई केन्द्रों, प्रशिक्षण केन्द्र, सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उन्मूलन केन्द्रों की स्थापना करना, पाठ्यक्रम विकास सम्बद्ध, प्रबन्ध संचालन आदि कर सकता तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्राधिकारों, संस्थाओं, शासन आदि से उन्हें मान्य, सम्बद्ध, आबद्ध, पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत करा सकना ।
2. ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियों का संचालन करना ।
3. खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना ।

क्रमशः....3

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोक कर जल संरक्षा एवं नहरें संचालन करना ।

उद्यानीकरण एवं वनस्पति का विकास करना ।

महिला एवं बाल विकास,एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम का संचालन करना ।

प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना ।

कृषि संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना ।

केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन ,समाज कल्याण ,नाबार्ड ,कपार्ट ,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड,महिला कल्याण,नेहरू युवा केन्द्र,खेलकूद युवा कल्याण मंत्रालय,ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यक्रमों का संचालन करना।

आई०आई०टी०,आई०टी०आई,फार्मेसी,नर्स ट्रेनिंग,आपरेशन ,टेक्नीशियन,लैब टेक्नीशियन ,फिजियोथेरेपी आदि मेडिकल कालेजों एवं इन्जीनियरिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना ।

समाज के लोगों के लिए हास्पिटल नर्सिंग होम स्वास्थ्य केन्द्र ,मेडिकल स्टोर ,जनरल स्टोर,किराना की दुकान फोटो स्टेट,टाइपिंग ,कम्पनी फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना ।

पुस्तकालय वाचनालय पत्र-पत्रिकाओं समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण ,बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना ।

वृद्धों,मूक बधिर,असहाय लोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सा ,आवास ,भोजन की व्यवस्था व पुनर्वास की स्थापना एवं संचालन करना ।

क्रमशः.....4

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 907600

14. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों यथा व्यवहारिक प्रायोगिक कला, वाणिज्यक, वैज्ञानिक, औद्योगिक आर्ट, संगीत तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक, भाषा अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना ।
15. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रवेशिकाओं परीक्षाओं में छात्र-छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन, आवास आदि सुविधाओं का व्यवस्था करना ।
16. पुस्तकों साहित्य, पत्रों पाठ्यक्रमों आदि का सृजन सम्पादन प्रकाशन, मुद्रण वितरण आदि कर सकना।
17. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठियाँ, सम्मेलन, प्रतियोगिताएं, मेलों, विभिन्न उत्सव एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना ।
18. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, चिकन प्रिंटिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना ।
19. व्यक्ति विशेष अथवा सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, विधि महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित एवं उनको इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना ।
20. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना ।
21. विधि सम्बन्धी उपयोगी जानकारी का प्रचार –प्रसार कर सकना ।
22. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार व प्रसार कर सकना ।
24. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना ।
25. एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार –प्रसार कर सकना ।

क्रमश:....5

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AE 907601

26. पुस्तक, पुस्तिकाएं, पत्र-पत्रिकाएं, समाचार-पत्र आदि को प्रकाशित, सम्पादित, वितरित व विक्रय कर सकना।
27. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य/निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।
28. पत्राचार द्वारा अध्यापन, अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्संबंधित आवश्यक व्यवस्था कर सकना।
29. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, समाज सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
30. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोद्धार कर सकना।
31. जनकल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना
32. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति, पुरस्कार, सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।
33. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेज/इंजीनियरिंग कालेजों प्रतिष्ठानों के स्वामित्वाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने स्वामित्वाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना।
34. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजित करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग करना।
35. ट्रस्ट जन सामान्य के हितार्थ कार्य करेगा। ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी सेवाएं/वस्तुएं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खड़न्जा, नालियों का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन आदि का कार्य एवं प्रचार कर सकना।
36. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।
37. ट्रस्ट अपनी समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही व्यय करेगा।

क्रमशः.....6

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु. 50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 907602

38. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पशु क्लिनिक का निर्माण करना ।

39. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना। फल एवं औषधि खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना

40. संगठन को मजबूत एवं क्रियाशील बनाने के लिए जिला प्रदेश देश स्तर पर पदाधिकारियों का चयन करना एवं अधिकार देना ।

41. दलित पिछड़ी अल्प संख्यकों का संगठन बनाकर समाज में फैली बुराईयों को दूर करना एवं सामाजिक स्तर,राजनैतिक स्तर, आर्थिक स्तर को मजबूत बनाना ।

42. धरना ,प्रदर्शन कार्यक्रम ,गोष्ठी ,सम्मेलन ,सेमीनार ,वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से अपनी बात शासन -प्रशासन तक पहुंचाना ।

43. शिक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हास्टलों का निर्माण करना ।

44. संविधान में तथा मानवाधिकार एवं उसके नियम किया-कलापों के बारे में जानकारी प्रदान करने की कार्यप्रणाली को विकसित करना ।

45. ट्रस्ट, राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा संस्था व कर्मचारी सेवा नियमावली के परिप्रेक्ष में जो आदेश निर्गत किये जायेंगे ,संस्था उनका पालन करेगी । ए

46. ट्रस्ट द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय को सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन नई दिल्ली / कौंसिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इग्जामिनेशन प्राप्त होने की तिथि से परिषद मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

47. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा, राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु राज्य सरकार व केन्द्र द्वारा शुल्क नियमावली में छूट व दंड का पालन होगा ।

जगदीश कुमार राय

क्रमांक 7

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 987603

प्रारम्भिक उपबन्ध –

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से आशीष कुमार राय जो कि न्यासकर्ता एवं न्यास विलेख के रचयिता भी है को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है ।
2. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष आशीष कुमार राय द्वारा पंजीकरण के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय तो आशीष कुमार राय की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी नाबालिग होने की स्थिति में पत्नी निशा सिंह ही इस ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगी।
3. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तर दायित्व अपने उत्तराधिकारी को स्थानान्तरित कर सकते है ।
4. किसी भी नये ट्रस्टीयो के चयन हेतु इच्छुक आवेदक को 5000/पाँच हजार का बैंक ड्राफ्ट (ट्रस्ट के नाम) बनवाकर आवेदन करना होगा । जिसे ट्रस्टीयो के समक्ष रखा जायेगा । ट्रस्टीयों द्वारा 3/4 बहुमत से स्वीकृत होने पर उसे ट्रस्टी बनाया जा सकेगा। किसी कारण से ट्रस्टी न बनाए जाने की स्थिति में आवेदन की धनराशि वापस कर दी जायेगी।
5. किसी ट्रस्टी के ट्रस्ट से पद मुक्त करने की शर्ते निम्न है. मृत्यु,ट्रस्ट के विरुद्ध कार्यो में संलिप्त पाये जाने किसी न्यायालय द्वारा 2 वर्ष से ज्यादा सजा दिये जाने या पागल होने पर दिवालिया होने पर,अविश्वासी होने पर ,त्याग–पत्र देने पर पद मुक्त /निष्कासित किया जा सकता है ।

आशीष कुमार राय

क्रमशः..8

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AC 987604

-(8)-

<u>मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी / हस्तान्तरण</u>

1. मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष की व्यवस्था कर दें ।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में भी मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष का पद किसी अन्य व्यक्ति को अधिकतम एक वर्ष के लिए प्रदान कर सकता है ।
3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो कि इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष को प्रदान किया गया ।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष पद पर ट्रस्टी के उत्तराधिकारी ही इस ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष होंगे । नव नियुक्त मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष होने के 6 माह के भीतर 3/4 बहुमत प्राप्त करना होगा । अन्यथा की स्थिति में किसी भी ट्रस्टी 3/4 बहुमत के आधार पर मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनाया जायेगा। बहुमत के अभाव पर नये ट्रस्टी के चयन होने तक ट्रस्टी के उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष बने रहेंगे ।
5. मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष को चाहिए की वह अपने उत्तराधिकार मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर कर के घोषणा कर दें । मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष द्वारा अपने जीवन काल के अन्तर्गत की गई वसीयत /इच्छा /व्यवस्था ही अंतिम रूप से मान्य होगी ।

कागज........8

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH -9- AE 907605

6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि संस्थापक मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं कर सकेगा ।

7. संस्थापक मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतन्त्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्य भार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दें ।

8. संस्थापक मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया , कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा ।

(ड) बोर्ड आफ ट्रस्टीज –

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विमर्श पर विचार विमर्श एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है,जिसमें अधिकतम 15 सदस्य होंगे ।

2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा । ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व भी बिना किसी को कोई कारण बताए ट्रस्टीयों की राय/ बहुमत से ट्रस्टी के पद से हटा सकता है ।

3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है. जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष स्वयं करेगा ।

4. यह भी बोर्ड आफ सभी विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

आशीष कुमार गुप्ता

क्रमश.....10

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 907606

यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा किये गये सुधार की मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

(5) अध्यक्ष / मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाएं :-

यह कि अध्यक्ष / ट्रस्टी को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।

यह कि ट्रस्टी / अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय / भत्ते आदि पर कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी / अध्यक्ष स्वयं अपनी प्राप्त आय से ही आयकर का भुगतान करेगा। ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(6) कार्य क्षेत्र :-

ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं दान प्राप्त कर सकता है। अथवा सहायता व दान दे सकता है।

(7) मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष का विशेषाधिकार :-

मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी / कर्मचारी द्वारा लिए गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त / स्वीकृत / अस्वीकृत संशोधित कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष, ट्रस्ट के कार्य–कलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है। जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा। मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष अपने विशेषाधिकार के तहत 5 ट्रस्टीयों का चयन अपने सम्पूर्ण जीवन काल में बिना आवेदन शुल्क या प्रस्ताव पर उनकी सहमति पर कर सकता है।

क्रमशः....11

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH -11- AE 907407

(ग) सचिव/उप सचिवों की नियुक्ति :-

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्य को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उप सचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि सचिव/उप सचिवों के वेतन, भत्ते सुविधाएं, कार्य नियम, मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
3. यह कि उक्त सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह एवं प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी अथवा किसी भी समय बिना कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक विधिक/आवश्यकता अनुशासनात्मक /प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। अथवा उक्त पदों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

(घ)उपाध्यक्ष की कि नियुक्ति :-

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्य को करने व देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त भी उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते सुविधाएं कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
3. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह एवं प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी अथवा किसी भी समय बिना किसी को कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। अथवा उक्त पदों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित प्रदान कर सकता है।

क्रमशः.......12

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19AA 898000

(10) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :-

यह कि ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत अध्यक्ष/ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष /ट्रस्टी के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य भी होंगे :-

(क) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

(ख) ट्रस्ट के समस्त कार्यों का सुचारुरूपी ढंग से देख रेख करने के लिए आवश्यक समिति एवं सचिवों की नियुक्ति करना।

(ग) इस ट्रस्ट डीड में परिभाषित ट्रस्ट के उपनियम एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्रीकृत होने की दिनांक से मान्य होगा।

(11) उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य–

अध्यक्ष /ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार विमर्श हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता ।

(12) सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :-

ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिए ट्रस्ट का सचिव अंतिम रूप से कार्यपाल एवं उत्तरदायी है। ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार हैं :-

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियन्त्रण रखना।

आशीष कुमार [illegible]

क्रमशः.....13

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश

३. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनात्मक कार्यवाही करना। 846001

४. विभिन्न कार्यकलापों उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु कमेटी/शिक्षण संस्था/ संस्थाओं/अन्य संगठनों का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों/निदेशकों, पदाधिकारियों आदि की संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बना सकना।

५. ट्रस्ट संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जाँच निर्णायक नियुक्त कर सकना।

६. एक से अधिक विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त होने की दशा में उनका कार्य विभाजन कर सकना।

७. प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की समुचित व्यवस्था करना।

८. जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजनों को कर सकना।

(13) उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :-

१. सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।

२. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उनके अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उनको लिखित रूप से प्राप्त है।

३. सचिव द्वारा लिखित रूप से आदेशों/कार्यों का पालन करना।

(14) बैंक एकाउन्ट :-

१. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है।

क्रमशः...14

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 13AA 616002

ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा प्रस्तावित किसी भी विद्यालय /महाविद्यालय /संस्थान /केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।

(१६) विधिक कार्यवाही :–

यदि संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई भी कार्यवाही की जाती है। या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्त एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी या अन्य किसी को अधिकृत कर सकता है।

(१७) सम्पत्ति सम्बन्धी –

1 ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकृत रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।

2 ट्रस्ट चल की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई भी निर्णय लेने/लेख विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

3 ट्रस्ट या अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया सक्षम एवं अधिकृत है।

4 ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति क्रय-विक्रय कर सकता है। रेहन रख सकता है। किराये पर दे सकता है। ले सकता है।

क्रमशः....15

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 13AA 616003

5. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, चन्दा, अनुदान, भेंट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है।

6. ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है। सुरक्षित कर सकता है। किसी बैंक, डाक, कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।

7. चल/अचल सम्पत्ति को क्रय/विक्रय, पट्टा, अनुबन्धित, बन्धक, गिरवी, किराया, हस्तांतरित आदि कर सकता है/ले सकता है/दे सकता है।

8. ट्रस्ट की सम्पत्ति/आय बढ़ाने हेतु 12ए, 80जी, 10/23 की स्वीकृति प्राप्त कर संचालन करना।

(17) विशेष :—

(क) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/आयोजित किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/कार्यक्रम/हॉस्पिटल/चिकित्सालय/संस्था/संगठन के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम उपनियम बनाये जा सकते हैं। परन्तु यदि वह इस डीड ऑफ ट्रस्ट विद्या राम सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम या उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य माने जायेंगे/ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड की किसी/किन्हीं प्राविधानों/को शिथिल कर सकते हैं। तथा प्राविधान/प्राविधानों के छूटे हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते हैं। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी। ट्रस्टडीड के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी भी कार्यवाही को कहीं भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। विद्या राम सोशल वेलफेयर ट्रस्टकी उक्त न्यास विलेख एवं इसमें सन्निहित विद्या राम सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली एतद्द्वारा अधिनियमित घोषित स्वीकृत आत्मार्पित एवं सम्यक रूप से लागू/अंगीकार की जाती है। कि उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझ कर स्वेच्छा से अपने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिए गये।

क्रमशः —16

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13AA 616004

ट्रस्ट का स्वरूप

क्रमांक	नाम व पिता का नाम	पता	पद	पेशा
1	आशीष कुमार राय पुत्र श्री पारस नाथ राय	सिवाड़ी गाजीपुर	मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष	समाजसेवा
2	कल्पना राय पत्नी सुनील कुमार राय	[illegible] गोरखपुर	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3	नीतेश कुमार मिश्र पुत्र चिन्तामणि मिश्रा	[illegible] जिला गाजीपुर	सचिव	समाजसेवा
4	श्रीमती [illegible] सिंह पुत्री [illegible] सिंह	सूरजपुर [illegible]	उपसचिव	समाजसेवा
5	श्री पारसनाथ राय पुत्र स्व० [illegible] राय	सिवाड़ी गाजीपुर	सदस्य	समाजसेवा
6	[illegible] तिवारी पुत्र [illegible] तिवारी	ग्राम [illegible] फखुनिया, गाजीपुर	सदस्य	समाजसेवा

[illegible]
टंकणकर्ता
राकेश कुमार शर्मा

साक्षीगण –
नाम
पता
[illegible] राय [illegible]
[illegible] सिवाड़ी जि० गाजीपुर

नाम
पता
जिला
[illegible]

[illegible]
आशीष कुमार राय
(संस्थापक/अध्यक्ष/[illegible])
पिता श्री [illegible]

[illegible]
[illegible]

IV - 47 ①

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये FIFTY RUPEES

रू.50 Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AB 264291

पूरक दस्तावेज ट्रस्ट (न्यास)

विद्या राय सोशल वेलफेयर ट्रस्ट

पूरक न्यास विलेख

यह पूरक न्यास विलेख आज दिनांक 30.09.2013 ग्रा0 व पो0 सिधागरी निकट ग्राम मनिहारी परगना शादियाबाद तहसील जखनिया जिला गाजीपुर (उ0प्र0) में श्री मनीष कुमार राय पुत्र पारस नाथ राय ग्रा0 व पो0 सिधागरी निकट ग्राम मनिहारी परगना शादियाबाद तहसील जखनिया जिला गाजीपुर (उ0प्र0) द्वारा घोषित किया गया। विदित हो कि मैंने एक न्यास पत्र दिनांक 26.02.2013 को पुस्तक संख्या IV खण्ड 18 के पृष्ठ 243/274 के क्रम संख्या 18 द्वारा उपनिबन्धक कार्यालय जखनियाँ गाजीपुर में रजिस्टर्ड किया गया था। जिसमें कुछ शर्तें लिखने से छूट गयी थी उन्हें आज इस पूरक विलेख द्वारा बढ़ाया जा रहा है, जो कि पूर्व न्यास पत्र दस्तावेज न0 18 दिनांक 26.02.2013 का भाग होगा। निम्नलिखित शर्तें जोड़ी जा रही हैं।

मनीष कुमार राय

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 — FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AN 264290

1. विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

2. विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 | FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 264289

3. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग नहीं की जायेगी; और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से प्राप्त है तथा विद्यालय को सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जाएगा।

4. संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य शर्तों से कम वेतन मान तथा अन्य शर्तें नहीं दिये जाएंगे।

[illegible signature]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AN 264286

5. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

6. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उसका पालन करेगी।

7. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा। यदि हाँ तो कृपया प्रबन्धाधिकरण का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध क्रम एक से सात तक स्वीकार है।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AW 264287

उक्त पूरक न्यास पत्र को सोच समझकर व बगैर किसी दबाव में लिख दिया कि भविष्य में कोई वैधानिक अड़चन (परेशानी) न होवे व मूल विलेख (न्यासपत्र) का अंग समझा जाय।

साक्षीगण :—

1. नाम: [illegible]
   पता: [illegible]

2. नाम: [illegible]
   पता: [illegible]

टंकणकर्ता [illegible]
आशीष कुमार गुप्ता

[illegible]
आशीष कुमार राय
(संस्थापक / अध्यक्ष / ट्रस्टी)

[illegible]
मसौदाकर्ता